हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 2
29 July 2025

नेशनल हाइवे पर हुए दो हादसे

नहीं थम रहा रफ्तार का कहर फिर सड़क पर बैठे 24 मवेशियों को भारी वाहनों ने कुचला

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलासपुर

शहर के आउटर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात अज्ञात वाहन के चालक ने बेलगाम खतरनाक तरीके से चलाते हुए नेशनल हाइवे ग्राम कडार में मवेशियों को कुचल दिया। हादसे में 18 मवेशियों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। इसी तरह मस्तूरी मार्ग पर 6 मवेशियों को कुचलने के बाद चालक गाड़ी से लेकर भाग गया। पुलिस दोनों मामले में जांच में जुट गई। बहरहाल देर रात तक वाहनों का पता नहीं चल पाया था।

चकरभाठा पुलिस के अनुसार, रविवार की रात एनएस 200 सारधा मोड़ कड़ार के पास सड़क पर मवेशी झुंड बनाकर बैठे हुए थे। देर रात करीब 12 से 3 बजे के बीच अज्ञात वाहन के चालक ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए सड़क पर बैठे 19 मवेशियों को कुचल दिया। हादसे में 18 मवेशियों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया है। चीख सुनकर गांव वाले हाइवे पर जाकर देखे तो सड़क पर मवेशी खून से लथपथ पड़े हुए थे। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा मचाया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मवेशियों को सड़क से उठाकर किनारे कराया गया। पुलिस ने कड़ार के सरपंच बृजेश दुबे की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ 281, 325, 184 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

मस्तूरी लावर में 6 मवेशियों को कुचला

बीती रात 12 से 3 बजे के बीच नेशनल हाइवे 49 लावर मोड़ के पास अज्ञात वाहन के चालक ने 6 मवेशियों को कुचल दिया। हादसे में सभी मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सोमवार की सुबह गौसेवा के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर मृत मवेशियों को दफनाया। पुलिस ने गौरक्षा के सदस्य ढेका निवासी विकास यादव की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ 281, 325 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

14 दिन पहले 13 मवेशियों की मौत हुई थी

विगत 14 जुलाई की रात रतनपुर पेंड्रा मार्ग में बारीडीह के पास अज्ञात वाहन के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सड़क पर बैठे मवेशियों को कुचल दिया था। हादसे में 13 मवेशियों की मौत हो गई और 4 घायल हुए थे।

दो मवेशी संचालकों के खिलाफ जुर्म दर्ज

टीआई उत्तम साहू ने बताया, चकरभाठा हादसे में मृत 4 मवेशियों के मालिकों का पता लगा लिया गया है। चारों मृत मवेशी कडार निवासी विजय वर्मा पिता झोरूराम वर्मा, कमलेश्वर वर्मा पिता रतन वर्मा की है। पुलिस ने दोनों मवेशी मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 291 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। वहीं अन्य मृत मवेशियों के मालिक का पता लगाया जा रहा है। उनके खिलाफ भी जुर्म दर्ज किया जाएगा।

हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी सड़क में घूम रहे मवेशी

पूर्व में रतनपुर हादसे में 13 मवेशियों की मौत के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए नाराजगी जताई है। उसके बाद रतनपुर मार्ग में पुलिसकर्मियों के द्वारा सड़क में बैठने वाले मवेशियों को हटाया जा रहा था और उनके गले में रेडियम पट्टी लगाई जा रही थी। उसके बाद भी मवेशी मालिक की लापरवाहियों के चलते सभी नशेनल हाइवे में बेखौफ मवेशी झुंड बनाकर सड़क में बैठे रहते हैं।